हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.7.20 पक्षकारान के आवेदन पर पत्रावली आज सुनवाई में ली गई। वादी, प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्षों ने आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि सरहद मौजा घाटोदी मे मूल खसरा सं 3683 विभाजित होकर तीन खसरा सं. 3683, 3683/1, 3683/2 रकबा क्रमश: 62.11 बीघा, 7 बीघा, 35.10 बीघा बने, किन्तु उक्त खसरा नम्बरों की पक्षकारान द्वारा मौका पर फेज पैमाईश करने पर नये खसरा सं 4019/3683 (पुराने 3683) रकबा 62 बीघा 11 बिस्वा रिकार्ड मुजब है, जबकि मौके पर इस खसरा का रकबा 55.16 बीघा है, व खसरा सं. 4021/3683 रकबा 39.10 बीघा रेकर्ड अनुसार है, जबकि मौके पर रकबा 46.5 बीघा भूमि मौजूद है, उक्त रकबे का जमाबन्दी एवं मौके पर क्षेत्रफल में अन्तर सड़क निकलने पर सड़क के दोनों तरफ आने वाले रकबे के सही कलावट व मौका जांच नहीं करने से आया है, वादी मोवनराम उर्फ मोहनराम के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं 4418/4019 का जमाबंदी अनुसार 28.11 बीघा दर्ज है, जो मौके की स्थिति के विपरित है, सही रकबा 21.16 बीघा है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ वादी मोवनराम उर्फ मोहनराम के खातेदारी की भूमि अवास्थित है, उसका कोई खसरा संख्या जमाबंदी व नक्शा में दर्ज नहीं है, प्रतिवादी सं 2 व 3 जो चुतराराम के वारिस है यानि चुतराराम के परिवार की भूमि खसरा सं 4419/4021 रकबा 34.01 बीघा जमाबन्दी व नक्शानुसार है, किन्तु मौके पर 40.16 बीघा है, जो 6.15 बीघा ज्यादा (अधिक) है, वो वास्तव में वादी के मालिकाना की भूमि का भाग है, इसी अनुसार मौके पर	मोहन Delendant Bow रेवाराम Haraj [signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काबिज है, व भविष्य में भी रहेंगे, वर्तमान में नक्शा रेकर्ड में वादी मोवनराम उर्फ मोहनराम के खातेदारी में खसरा नं. 441/1409 रकबा 28.11 बीघा जमाबंदी में दर्ज है, इसकी दुरस्ती कर 28.11 बीघा के स्थान पर 21.16 बीघा किया जावे, शेष 6.15 बीघा भूमि को नया खसरा नं. सड़क के दूसरी तरफ बनाया जाकर रेकर्ड में दर्ज किया जावे, प्रतिवादी रमेश कुमार, भगराज का रकबा वर्तमान खतौनी अनुसार यथावत रहेगा। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 का हिस्सा रकबा तो समान रहेगा, मात्र एक नया खसरा बनेगा, वो वादी के नाम दर्ज किया जावेगा, कुल रकबा यथावत रहेगा। राजीनामा के संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड के अनुसार किया जावे, इस हेतु दोनों पक्षकार वादी व प्रतिवादी सहमत है, जो 6.15 बीघा रकबा का नया खसरा बनाया जावेगा। इसी अनुसार रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा दुरस्त किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किया जावे, जिस पर दोनों पक्षकारान सहमति है, नक्शा राजीनामा का भाग माना जाकर स्थाप पढ़ा जावे। राजीनामा की इबारत उभय पक्षों को पढ़कर सुनाई, समझाई जाकर राजीनामा को गुदारा तस्दीक किया गया। दोनों पक्षों को सुना, पत्रावली संलग्न राजीनामा, दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन किया बाद गौर बाद पत्र वादीगण ------	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

---- माफिक राजीनामा स्वीकार करने योग्य होने से बाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है, राजीनामा के संलग्न नकशा अनुसार राजस्व रेकर्ड में नकशा लट्ठा ट्रेस व जमाबंदी में दुरस्ती की जावें इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा